Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide compensation to Bhagra Dam outstees.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद।

देश की सुरक्षा के लिए पहाड़ के नौजवानों ने अपनी जवानी भी दी, कुर्बानी भी दी। देश के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों ने अपनी ज़मीनें दी। वे इसके लिए बेघर भी हुए। भाखड़ा डैम बना, पोंग डैम बना। लेकिन, वहां के विस्थापित लोग यानी वहां के जो डैम आउस्टीज़ हैं, आज 40-50 वर्षों के बाद भी ऐसे हजारों परिवार हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन और अपने अधिकारों की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस हरियाणा को, जिस पंजाब को और जिस राजस्थान राज्य को सिंचाई के लिए पानी और बिजली देने का काम हमने किया, हमारे यहां के हजारों गांव उजड़ गए, हजारों परिवार उजड़ गए, पर इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहां के लोगों को न वहां ज़मीनें मिलीं और न ही उन्हें उनके अधिकार मिल पाए हैं। अपनी ज़मीन का कब्जा लेने के चक्कर में 42 लोगों की जानें चली गईं। आज सरकारें कहती हैं कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर ज़मीनें ले लो। क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों का यह गुनाह है कि अपनी कुर्बानी देने के बाद, देश को आगे बढ़ाने के बाद भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है? नर्मदा बाँध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए।

आप जमीन नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल के डैम आउस्टीज़को भी मुआवजे के बदले में पैसा मिलना चाहिए। उनकी 40-50 वर्षों की यह मांग है, इसलिए उसको पूरा करना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Virender Kashyap, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Arvind Sawant, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Anurag Singh Thakur.